राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.6 (2)गृह/सम्पर्क/सचि./2002/ जयपुर, दिनांक : 30 SEP 20

समस्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष

परिपत्र

विषय :– राजकीय विभागों द्वारा राजस्थान संवाद के माध्यम से जारी किये जाने वाले सजावटी विज्ञापनों की प्रक्रिया के संबंध में।

समस्त राजकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जाते हैं। इस बाबत पूर्व जारी किए गए निर्देशों की निरंतरता में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1) **विज्ञापन हेतु कार्यादेश (work order) दिया जाना**

ix. समस्त राजकीय विभागों द्वारा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जारी किये जाने वाले सजावटी विज्ञापन के कार्यादेश के साथ अनुमोदित विज्ञापन का डिजाईन (Design) एवं आकार (Size) तीन प्रतियों में एवं सॉफ्ट कॉपी सहित प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद को प्रेषित किया जावेगा।

x. अनुमोदित विज्ञापन की साफ्ट कॉपी राजस्थान संवाद की ई–मेल आई डी. classified.samwad@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है।

xi. इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक मीडिया (TV, FM Radio आदि) में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन के कार्यादेश के सहित समय अवधि भी अंकित की जावेगी। विज्ञापन की सीडी कार्यादेश के साथ संलग्न की जावेगी।

xii. प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन राजस्थान संवाद में एमपेनल्ड विज्ञापन एजेन्सी (Empanelled Advertising Agency) के मार्फत से प्रेषित किये जा सकेंगे।

xiii. प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के साथ सम्बन्धित विभाग मीडिया प्लान (Media plan) संलग्न करेगी जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि विज्ञापन का प्रकाशन किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य/संभागीय/जिला स्तरीय) एवं प्रति स्तर के समाचार पत्रों की कितनी संख्या वाले में किया जाना है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारण हेतु किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय) एवं कितनी संख्या के चैनल का भी उल्लेख किया जावेगा। संबंधित विभाग किन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/चैनल में उस विज्ञापन का प्रकाशन/प्रसारण चाहता है, का भी उल्लेख कर सकता है। प्रकाशन/प्रसारण की दिनांक का भी स्पष्ट उल्लेख मीडिया प्लान में होगा।

xiv. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विज्ञापन राजस्थान संवाद को प्रकाशन/प्रसारण हेतु नियत तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रेषित कर दिये जाये।

30/9/2014

xv. विभाग से प्राप्त मीडिया प्लान का परीक्षण राजस्थान संवाद में किया जावेगा एवं प्रभावी प्रचार व विभिन्न मीडिया को पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद को यह अधिकार होगा कि वह प्राप्त मीडिया प्लान में संशोधन कर सके।

xvi. राजस्थान संवाद द्वारा सम्बन्धित समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल के नाम रिलीज ऑर्डर (Release Order) जारी किया जाकर विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एमपेनल्ड विज्ञापन एजेन्सी को प्रकाशन/प्रसारण हेतु दिया जावेगा। संबंधित समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल में राजस्थान संवाद द्वारा जारी रिलीज़ ऑर्डर (Release Order) के अनुसार प्रकाशन/प्रसारण करवाने का दायित्व संबंधित विज्ञापन एजेन्सी का होगा।

(2) सजावटी विज्ञापनों की दर

ii. सजावटी विज्ञापन डी.ए.वी.पी./डी.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर पर जारी किए जावेंगे।

(3) भुगतान की प्रक्रिया (Procedure of Payment)

iv. राजस्थान संवाद द्वारा जारी किये गये रिलीज आर्डर के तहत विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं/चैनल में प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापनों के बिल संबंधित समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल द्वारा राजस्थान संवाद को प्रेषित किये जायेंगे।

v. राजस्थान संवाद संबंधित विभाग/कार्यालय को भुगतान हेतु बिल प्रेषित करेगी। बिल प्राप्त होने के अधिकतम 10 दिवस के अन्दर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा बिल की समस्त राशि का भुगतान राजस्थान संवाद को किया जावेगा ।

vi. समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल/एमपेनल्ड विज्ञापन एजेन्सी को भुगतान राजस्थान संवाद द्वारा किया जायेगा।

(राजीव स्वरूप)
प्रमुख शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर